फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

सरी देवी बनाम जमुरान

...ा /वर्ष : 39 /2024

...नांक आज्ञा ...ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	मे लगाई जाती है। उभय पक्षों को प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं 1/7 CPC पर सुना। बाद आदेश 5/3/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
5/3/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार है। किन्तु अपने हिस्से की भूमि का उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, ना ही खेतीबाड़ी, रहन, बन्धक, बेच वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। वकील अप्रार्थी/वादी ने भी प्रा. पत्र 1/7 CPC स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की। बहस उभयपक्षों की सुनने व प्रा. पत्र (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		को अवलोकन करने पर प्रा. पत्र 151 CPC का स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं। अतः प्रा. पत्र 151 CPC का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 2 एवं 10 को न्यायालय आदेश [illegible] स्थगन आदेश दिनांक 2/2/24 में प्रार्थीगण की हद तक विड्रो किया जाता है। प्रा. पत्र 212 RTA पर बहस उभयपक्षों की सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं एवं वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा.पत्र के चरण सं. 2 में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ता फैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)